दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

फौ.वि.मु. 3402/2021, फौ.वि.अ. 20546/2021 और फौ.वि.अ. 20547/2021

विनिश्चय की तिथि: 21.12.2021

के मामले में:

सेंचुरी एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पल्लव सक्सेना, श्री सोरभ दहिया और मोहम्मद नौशीन समर, अधिवक्तागण

बनाम

हीरो फिन्कोर्प लिमिटेड ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री आदित्य प्रसाद, श्री अमित कुमार सिन्हा और

श्री श्रीराम कमल,

अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

<u>निर्णय</u>

<u>मनोज कुमार ओहरी, न्या. (मौखिक)</u>

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है जिसमें फाज़िल म.दं. (प.लि. अधिनियम), डिजिटल न्यायालय-01, दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दि.मु. संख्या 67/2020 में दिनांक 03.12.2021 को पारित उस आदेश को चुनौती दी जा रही है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिकायतकर्ता गवाह की जिरह के लिए प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों के फाज़िल अधिवक्ता यह निवेदन

करते हैं कि 03.12.2021 को विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत नोटिस विरचित किया था जिसमें अभियुक्त ने अपने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया।उसी तारीख को प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत दिनांक 10.09.2021 को पहले से ही दायर एक अर्ज़ी को उठाया गया तथापि उसे बिना कोई कारण बताए विचारण न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया था, सिवाय यह कहने के कि अभियुक्त द्वारा बचाव का कोई वैध आधार नहीं रखा गया था। फाज़िल अधिवक्ता ने अपने मुक़द्दमा के समर्थन में **2020 SCC OnLine Del 1761** के रूप में प्रतिवेदित आशीष अग्रवाल बनाम सुशील कुमार और **MANU/DE/4676/2019** के रूप में प्रतिवेदित सुनील अग्रवाल बनाम सुनील गुप्ता एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों पर भरोसा किया

है। वह प्रार्थना करते हैं कि प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत अभियुक्त की ओर से दायर अर्ज़ी को मंज़ूर किया जाए और यह वचन देते हैं कि यदि उक्त राहत दी जाती है तो अभियुक्त उस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष किसी स्थगन की माँग नहीं करेगा।

3. नोटिस जारी किया जाए ।

4. श्री आदित्य प्रसाद, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए पेश होते हैं और नोटिस स्वीकार करते हैं।वह निवेदन करते हैं कि दिनांक 03.12.2021 के आदेश से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 251 के तहत विरचित नोटिस के जवाब में रखे गए बचाव को देखा था, और इस प्रकार, वह मंसूख़ किए जाने योग्य नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के फाज़िल अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखा है।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों और विषय पर क़ानून की स्थिति के उल्लेख से पहले, प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त माना जाता है जो निम्नानुसार है:-

> *"145. शपथपत्र द्वारा साक्ष्य -*
>
> *xxx*
>
> *(2) न्यायालय, यदि वह उचित समझे, (तो कर सकता है) और अभियोजन या अभियुक्त की अर्ज़ी पर, शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में समन और परीक्षण करेगा ।*

7. प्रावधान के एक सादा पठन से पता चलता है कि एक बार अभियुक्त द्वारा जब उसके तहत कोई अर्ज़ी दायर कर दी जाए तो संबंधित न्यायालय उस व्यक्ति को बुलाने के लिए बाध्य हो

जाता है जिसने प.लि. अधिनियम की धारा 145(1) के संदर्भ में हलफनामे द्वारा साक्ष्य दिया हो। **(2009) 13 एससीसी 201** के रूप में प्रतिवेदित राधे श्याम गर्ग बनाम नरेश कुमार गुप्ता में सर्वोच्च् न्यायालय ने इस मुद्दे पर क़ानून को निम्नानुसार उजागर कर दिया है:-

> *"10... जबकि धारा 145 की उपधारा (1) में "कर सकता है (may)" पद का प्रयोग किया गया है, वहीं उसकी उपधारा (2) में "करेगा (shall)" पद का प्रयोग किया गया है।उपर्युक्त प्रावधान का पहला भाग धारा की उप-धारा (1) के साथ अवश्यरूप से पढ़ा जाना चाहिए।*
>
> *145. इसलिए, यह अदालत की केवल विवेकाधीन शक्ति की ओर इशारा करता है, जिसे उसे उसके कारण दी गई है। अदालत के पास, तथापि, अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा यदि कोई अर्जी दायर की जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने और उसमें अन्तर्निहित*

तथ्थों के बारे में परीक्षण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जिसने शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दिया हो।धारा 145 को अवश्य ही युक्तियुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए ।"

(ज़ोर दिया गया)

8. इसी तरह, **(2010) 3 एससीसी 83** के रूप में प्रतिवेदित मांडवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम निमेश बी. ठाकोर में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) में अंतर्विष्ट आदेश की व्याख्या किया है:-

"30..... वि.अनु.या. (फौ.) सं. 4760/2006 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश हो रहे श्री रंजीत कुमार, फाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि धारा 145 की उप-धारा (2) दोनों शब्दों का उपयोग करती है,

'कर सकता है(may)' (अदालत के संदर्भ में) और 'करेगा (shall)' (अभियोजन या अभियुक्त के संदर्भ में)।

इसलिए, यह संदेह से परे था कि यदि अभियुक्त द्वारा कोई अर्जी दी जाती है, तो अदालत मामले में किसी भी विवेक के बिना धारा 145 (1) के संदर्भ में हलफनामे द्वारा साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए बाध्य होगी।निवेदन के इस भाग से कोई असहमति नहीं हो सकती... "

(ज़ोर दिया गया)

9. वैधानिक प्रावधान जो प.लि. अधिनियम की धारा 145 है और पूर्वोक्त विनिश्चयों की एक दिग्दर्शन पर, यह समझ में आता है कि प.लि. अधिनियम की धारा 145 की उप-धारा (2) संबंधित न्यायालय को प.लि. अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए बाध्य करती है यदि इस तरह की राहत की मांग करते

हुए अभियुक्त द्वारा कोई अर्ज़ी दायर की जाती है। न्यायालय का विवेक उस स्थिति में प्रयोग किया जाएगा जब किसी भी पक्ष की ओर से ऐसी कोई अर्ज़ी दायर नहीं की गई हो और न्यायालय सवतः कर रहा हो।

10. वर्तमान मामले में, अभियुक्त की ओर से प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत अर्ज़ी 10.09.2021 को दायर की गई थी।यह प्रकथन किया गया है कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता वार्ता चल रही थी, और 16.11.2021 को, शिकायतकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त की कि वह बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अभियुक्तों को अपन लेखा-विवरण देगा।तथापि, सुनवाई की अगली तारीख यानी 03.12.2021 को, शिकायतकर्ता ने खाते का विवरण प्रदान नहीं किया और अभियुक्त के ख़िलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

251 के तहत नोटिस विरचित किया गया। अभियुक्त की ओर से प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत पहले से दायर अर्ज़ी को उठाने पर, यह टिप्पण करते हुए कि बचाव के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया था, विचारण न्यायालय ने उसे ख़ारिज कर दिया।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों की अर्ज़ी को, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत नोटिस विरचित करने से पहले दायर किया गया था और जिसे उसकी विरचना के समय भी उठाया गया था, ख़ारिज करने में ग़लती किया।प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) में अंतर्विष्ट आदेश की अनदेखी में पारित किया गया है, जो उपरोक्त विनिश्चयों के संदर्भ में,

यदि अभियुक्त द्वारा कोई अर्ज़ी दायर की जाती है तो संबंधित न्यायालय को उस व्यक्ति को बुलाने के लिए बाध्य करता है जिसने प.लि. अधिनियम की धारा 145(1) के संदर्भ में हलफनामे द्वारा साक्ष्य दिए हों।

12. पूर्वगामी चर्चा और मामले के चरण को देखते हुए, याचिका को मंज़ूर किया जाता और आक्षेपित आदेश को मनसूख किया जाता है।

13. दिनांक 10.09.2021 को प.लि. अधिनियम की धारा 145(2) के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।विचारण न्यायालय याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों को केवल एक तारीख पर शिकायतकर्ता गवाह की जिरह करने का अवसर प्रदान करेगा जब तक कि अदालत की राय में जिरह पूरी करने के लिए एक और तारीख की आवश्यकता न हो।

14. लंबित अर्ज़िओं सहित याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।

15. आदेश की एक प्रति संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

दिसम्बर 21, 2021
ga

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*